

निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना।

आदेश

सं०सं०-11/एम०(स्था०)-04/2018-.....(11) /स्वा०, पटना, दिनांक- / /2019

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या-07070114, द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2014 से मलेरिया निरीक्षक के पद पर अनुशंसित अभ्यर्थी श्री प्रवीण कुमार के मूल प्रमाण-पत्रों एवं वांछित कागजात का सत्यापन दिनांक-25.09.2018 को किया गया जिसमें श्री प्रवीण कुमार का कागजात वांछित था। वांछित कागजात उपलब्ध कराने के उपरांत श्री प्रवीण कुमार को मलेरिया निरीक्षक के पद पर बैड वेतन 9300-34800/-, ग्रेड वेतन 4600/- (स्तर-07) में सशर्त औपबंधिक रूप से श्री प्रवीण कुमार, मलेरिया निरीक्षक को स्तम्भ-9 में अंकित जिला मलेरिया कार्यालय में नियुक्त करते हुए अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	नाम/पता	गृह जिला	जन्म तिथि	कोटि	अनुशंसित कोटि	सामान्य वरीयता क्रमांक	पदस्थापन का कार्यालय एवं स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	116962	श्री प्रवीण कुमार, पिता- श्री जगदीश पंडित, ग्राम+पो०-कंजरी, थाना- बेलदौर, भाया-सोनवर्षा,(राज) जिला-खगड़िया, राज्य- बिहार, पिन सं०-852129, मो०-9472728585	खगड़िया	15-02-78	MBC	MBC	2113	जिला मलेरिया कार्यालय सहरसा।

- श्री प्रवीण कुमार, मलेरिया निरीक्षक के पदस्थापन आदेश के आलोक में नव-पदस्थापित स्थान पर पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान देंगे।
- श्री प्रवीण कुमार, मलेरिया निरीक्षक का वेतन भत्ते का भुगतान उनके योगदान की तिथि से देय होगा।
- योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, एवं दहेज न लेने एवं न देने संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक एवं अस्थायी है। भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेख के संबंध में गलत सूचना पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जायेगी तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
- बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 के द्वारा प्रतिपादित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 767, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार उन कर्मियों को नयी अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत रखा जायेगा।

8. नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
9. निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ से संपुष्टि/सत्यापन के बाद वेतन का भुगतान किया जायेगा। संपुष्टि पत्र के साथ संबंधित पदाधिकारी श्री प्रवीण कुमार, मलेरिया निरीक्षक के फोटो को अभिप्रमाणित कर सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को अभिप्रमाणित करते हुए साथ लाकर स्वयं अधोहस्ताक्षरी से हाथों-हाथ संपुष्टि करालेंगे।
12. नियुक्ति प्रक्रिया में पायी गयी त्रुटि/भूल के सुधार का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा।

ह0/-

(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-11/एम0(स्था0)-04/2018- .....(11)

पटना, दिनांक- / /2019

प्रतिलिपि:- सविल सर्जन,/जिला पदाधिकारी/जिला वैक्टर बॉन डिजीज नियंत्रण पदाधिकारी,/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा एवं अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (मलेरिया/कालाजार), स्वास्थ्य भवन, सुलतानगंज, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-11/एम0(स्था0)-04/2018- .....(11)

पटना, दिनांक- / /2019

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव,/विशेष सचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-11/एम0(स्था0)-04/2018- 408(11)

पटना, दिनांक- 04/5 /2019

प्रतिलिपि:- श्री प्रवीण कुमार, मलेरिया निरीक्षक, पिता- श्री जगदीश पंडित, ग्राम+पो0-कंजरी, थाना- बेलदौर, भाया-सोनवर्षा,(राज) जिला-खगड़िया, राज्य- बिहार, पिन सं0-852129, मो0-9472728585 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।